न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/129/2023	2023/518	09.11.2023	24.07.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

02. कालू सिंधी, निवासी 1/घ/2, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कम्पनी को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी,अलवर) —विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री सुखवीर यादव — वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कम्पनी गैस को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.11.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जॉच हेतु फर्म मै0 बाबा पराठा, अग्रवाल धर्मशाला के पास, नियर बस स्टेण्ड, अलवर मौके पर पहुंचे। मौके पर कालू सिंधी उपस्थित मिले। फर्म मै0 बाबा पराठा, अग्रवाल धर्मशाला के पास नियर बस स्टेण्ड, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कंपनी का मिला जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0 सं0	सिलेण्डर का एस.आर. क्रमांक	सील/अनसीलल्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एल.पी.जी.का उपदर्शित/मानक भार/क्षमता (किग्रा में)	खाली सिलेण्डर उपदर्शित भार/टेयर वेट(किग्रा में)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपी.जी(किग्रा में)	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में)
1.	02	03	04	05	06	07
2.	72455	एचपीसीएल	14.2	15.7	15.7	Nill

कालू सिंधी, निवासी 1/घ/2, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, इससे जाहिर होता है कि कालू सिंधी, निवासी 1/घ/2, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उपरोक्तानुसार 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कंपनी को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कंपनी को मै0 मॉडर्न गैस एजेंसी, मालवीय नगर, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री हरिकिशन मीना के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) खाली एचपीसीएल कंपनी को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त नोटिस में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि विनोद कुमार जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी अलवर कब मेरे व्यवसाय जहां पर मिन अप्रार्थी मै० बाबा दा पराठा, अग्रवाल धर्मशाला, नियर बस स्टेण्ड अलवर पर आये व कब उन्होने मौका मुआयना किया। वास्तविकता यह है कि जब विनोद कुमार जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी अलवर मेरे व्यवसाय पर आये तब व्यवसायिक गैस कनेक्शन सिलेण्डर मेरे कारोबार पर काम में आ रहा था व एक खाली गैस सिलेण्डर एचपीसीएल कंपनी घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा का मिन अप्रार्थी के कारोबार पर नहीं था, बल्कि भारत गैस सिलेण्डर कंपनी का खाली मिन अप्रार्थी के कारोबार पर रखा हुआ था। मिन अप्रार्थी की माताजी हरीबाई जईफ उल उम्र 76 साल है जो सीनियर सिटीजन हैं उनके नाम से एक भारत गैस कनेक्शन नंबर 13128 है और मिन अप्रार्थी की माताजी जब भी उक्त गैस सिलेण्डर खाली हो जाता है तब मिन अप्रार्थी की दुकान पर मिन अप्रार्थी अपने घर से मंगवा लेता हैं। चूंकि मिन अप्रार्थी के कारोबार से मेरा घर का रास्ता करीब आधे किलोमीटर का है। इसलिए मिन अप्रार्थी अपने घर से गैस सिलेण्डर खाली हो जाने पर अपने कारोबार पर मंगवा लेता है। गैस सिलेण्डर डिलीवर मैन मेरे व्यवसायिक कारोबार से उक्त खाली सिलेण्डर ले जाता है और भरा हुआ सिलेण्डर दे जाता है। वक्त चैकिंग मेरे कारोबार पर भारत गैस का खाली सिलेण्डर रखा हुआ था जो मेरी दुकान मैंने अपने घर से भरने के लिए मंगाया था। मिन अप्रार्थी गैस सिलेण्डर घरेलू का कभी भी उपयोग नहीं किया है, बल्कि मिन अप्रार्थी ने अपने कारोबार में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया है। जब विनोद कुमार जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी अलवर मेरे कारोबार पर आये तब भी व्यसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है, उक्त खाली गैस सिलेण्डर मिन अप्रार्थी ने अपने से घर खाली को भराने के लिए मंगवाया था। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावे व कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

विभागीय प्रतिनिधि/अप्रार्थी विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के जवाब से स्पष्ट है कि उक्त खाली सिलेण्डर अप्रार्थी की माता जी के नाम गैस कनेक्शन नंबर 13128 का था जिसे अप्रार्थी द्वारा माताजी अधिक उम्र की होने के कारण अपने प्रतिष्ठान पर मंगवाकर भरवाया जाना था जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा गैस की कालाबाजारी व रिफलिंग का कार्य नहीं किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी से जब्त सिलेण्डर एस.आर. क्रमांक 72455 एचपीसीएल अप्रार्थी को दिया जाना उचित होगा। प्रार्थना–पत्र 6–ए खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी से जब्त सिलेण्डर एस.आर. क्रमांक 72455 एचपीसीएल अप्रार्थी को दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटावें। प्रार्थना–पत्र 6–ए खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)